मंत्री आज सीएम को देंगे विभागों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड

सीएम हाउस में मंत्रियों से वन-टू-वन होगी चर्चा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 मई. प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले मंत्रियों की परफॉर्मेंस अब सरकार की कसौटी पर है. इसे परखने का सिलसिला दो दिन चलेगा. शुरुआत रविवार से होगी. मुख्यमंत्री निवास में होने वाले वन-टू-वन के लिए मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ आने के लिए ताकीद कर दिया गया है.

मंत्री सीएम डॉ.मोहन यादव के सामने विभागों के कामकाज का पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, वे न सिर्फ विभाग का बल्कि मंत्री के तौर पर प्रभार और गृह जिले में उनकी सक्रियता, प्रशासनिक पकड़, विभाग की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए की गई उनकी कवायद और आम लोगों के साथ ही संगठन कामों में उनकी भागीदारी का पूरा ब्यौरा भी देना होगा.

बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा भाजपा प्रदेश संगठन के आला पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, इनमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हैं. मंत्रियों के साथ वन-टू-वन सोमवार को भी होगी. एक मंत्री को अपने विभाग से जुड़े विषयों पर अपना पक्ष रखने के लिए 30 से 45 मिनट का समय मिलेगा. इस दो दिनी वन-टू-वन के बाद 21 मई को भी बड़ी बैठक होगी. इससे पहले सीएम 15 मई को राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले 45 बिदुओं

को लेकर बड़ी बैठक कर चुके हैं. इसे सरकार के अगले एक वर्ष के रोडमैप के रूप में देखा जा रहा है, वहीं मंत्रियों के साथ होने वाले वन-टू-वन को मंत्रियों के परफॉर्मेंस के आकलन से जोड़ा जा रहा है. इस वन-टू-वन के नतीजे कैबिनेट में मंत्रियों का भविष्य तय कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब शीघ्र ही मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, जिसमें कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वहीं कुछ प्रतीक्षारत विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है. ऐसे में इस वन-टू-वन का महत्व बढ़ गया है.

18 को मिलेगी ट्रेनिंग

प्रदेश के निगम-मंडल, प्राधिकरण और आयोग आदि राजनीतिक नियुक्तियों के बाद अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों को कामकाज का तरीका सिखाया जाएगा. इसके लिए 18 मई को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन स्कूल में ट्रेनिंग दी जाएगी. राज्य सरकार ने अब तक 63 नियुक्तियां की है. इन सभी को ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया गया है.

आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित करें : महासंघ

भोपाल, 16 मई. शासकीय अर्द्धशासकीय निगम मंडलों में आउटसोर्स से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की जा रही है. यह मांग निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी समन्वय महासंघ ने की है. समन्वय महासंघ अध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि हाई कोर्ट जबलपुर 9 अप्रैल 2026 में राधेश्याम वर्मा केस संख्या 3641 में आदेश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए. साथ ही नियमित कर्मचारियों के समान यात्रा भत्ता तथा अन्य सुविधा प्रदान की जाए.

नीट परीक्षा में धांधली को लेकर मशाल जुलूस

बैरसिया, 16 मई. नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के विरोध में शनिवार शाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला. कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए बस स्टैंड चौराहे तक पैदल मार्च कर मशाल जुलूस निकाला. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर कार्यवाही करने की मांग की. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की लापरवाही के कारण लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग चुका है.शर्मा ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगी.

गुर्जर बैरसिया बीआरसी नियुक्त

बैरसिया, 16 मई. जिला शिक्षा केंद्र भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत परियोजना समन्वयक रामकिशन गुर्जर को बैरसिया बीआरसी के रिक्त पद पर नियुक्त किया है. कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक ने शुक्रवार को जारी आदेश के तहत राम किशन गुर्जर को आगामी आदेश तक विकासखंड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केंद्र बैरसिया नियुक्त किया है. उक्त आदेश के पालन में नवनियुक्त बीआरसी गुर्जर ने बीआरसी कार्यालय में अपनी आमद दे दी है. उनके शुभचिंतकों ओर कार्यालय स्टाफ ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया.

तेंदूपत्ता संग्रहण का शुभारंभ

बैरसिया, 16 मई. जनपद पंचायत फंदा की ग्राम पंचायत रायपुर, कनेरा, अगरिया में तेंदूपत्ता संग्रहण का शुभारंभ शनिवार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिह जाट ने किया. ग्राम रायपुर में 100 से अधिक हितग्राहियों की तेंदूपत्ता गड्डियां फड़ पर गिनी जाती हैं. जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने तेंदूपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों से कहा कि तेंदूपत्ता तोड़ते समय जंगली जानवरों से सावधान रहें.उपाध्यक्ष ने तेंदूपत्ता हितग्राहियों को परमिट वितरित किए. फड़ मुंशी शारदा सराठे ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण30 मई तक किया जाएगा. इस अवसर पर सरपंच धारा सिंह सिलावट उपस्थित थे.

आज सजेगी सुरों की महफिल

भोपाल,16 मई. रवीन्द्र भवन के गौरांजनी सभागार में रविवार को शाम साढ़े पांच बजे से संस्कृति संगीत संध्या आयोजित की जा रही है. एंजेल म्यूजिकल ग्रुप एवं आयोजक इंजीनियर आशु खान ने बताया कि इस बार आयोजन की मुख्य विशेषता 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ और बुजुर्ग कलाकारों को मंच प्रदान करना है.

सूचना

हम अपने सम्मानित ग्राहकों, इंटरमीडियरीज़ (मध्यस्थों) और आम जनता को सूचित करना चाहते हैं कि, तल मंज़िल, यादव कॉम्प्लेक्स, 10 सिविल लाइंस, एक्सिस बैंक के पास, **सागर - 470 001, मध्य प्रदेश** स्थित हमारे शाखा कार्यालय को नीचे दिए नए स्थल पर स्थानांतरित कर रहे हैं. नई शाखा सर्विसिंग के लिए 2 से 3 महीनों के अंदर खुलेगी. आपसे रिन्यूअल्स और दावा संबंधी सहायता सहित अपनी पॉलिसी के लिए उपलब्ध सेवाएँ हासिल करने हेतु इस पर ध्यान देने और स्थानांतरित शाखा कार्यालय की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.icicilombard.com पर विजिट करने या IL take care ऐप डाउनलोड करने का निवेदन किया जाता है.

नया पता (स्थानांतरण)
दूसरी मंज़िल, यादव कॉम्प्लेक्स,
10 सिविल लाइंस, एक्सिस बैंक के पास,
सागर – 470 001, मध्य प्रदेश.

पुराना पता (बंद होनेवाला)
तल मंज़िल, यादव कॉम्प्लेक्स,
10 सिविल लाइंस, एक्सिस बैंक के पास,
सागर – 470 001, मध्य प्रदेश.

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए
अधिकृत हस्ताक्षरिती

सभी संबंधित से आग्रह है कि इस बात का ध्यान रखें.

ICICI Lombard GENERAL INSURANCE

कॉर्पोरेट पता: आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हाउस, 414, पी. बालू मार्ग, ऑफ़ वीर सावरकर मार्ग, सिद्धी विनायक मंदिर के पास, प्रभादेवी, मुंबई 400 025. बीमा आग्रह की विषय वस्तु है. ऊपर दर्शाया ट्रेड लोगो आईसीआईसीआई बैंक तथा नॉर्थब्रिज फायनांशियल कॉर्पोरेशन से संबद्ध है और लायसेंस के अंतर्गत आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी लि. द्वारा प्रयोग किया जा रहा है. आईआरडीए रजि. नं. 115. • टोल फ्री नं.: 1800 2666. फैक्स नं. 02261961323. सीआईएन L67200MH2000PLC129408. वेबसाइटः www.icicilombard.com. ईमेल: customersupport@icicilombard.com

नाम परिवर्तन

मैं शेख अलीम उद्दीन आत्मज श्री शेख सिराज उद्दीन निवासी मकान नं. डी सेक्टर फिरदौस नगर भोपाल म.प्र. सूचित करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट नं. K7169719 मैं मेरा नाम त्रुटिवश अलीम उद्दीन दर्ज हो गया है जबकि मेरा सही नाम शेख अलीम उद्दीन SHEIKH ALLEM UDDIN है पासपोर्ट मे सही नाम दर्ज किया जाए इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

नाम परिवर्तन

मैं MOHD ISHAQ S/O MOHAMMED ANWAR ANSARI आयु वयस्क निवासी: 1000 नव बहार कॉलोनी रेलवे स्टेशन भोपाल मेरे दस्तावेजों में पहले मेरा नाम MOHAMMED ISHAQ ANSARI दर्ज था, जो कि बदल कर मेरा नाम MOHD ISHAQ हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

नाम परिवर्तन

मैं SALIM UDDIN MAKRANI S/O SAIF UDDIN MAKRANI आयु वयस्क निवासी: म.नं. 12 गली नं. 02 इस्लामपुरा भोपाल मेरे दस्तावेजों में पहले मेरा नाम SALIM MAKRANI दर्ज था, जो कि बदल कर मेरा नाम SALIM UDDIN MAKRANI हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

नाम परिवर्तन

मैं ASIF KHAN SIDDIQUI S/O CHUNNU KHAN आयु वयस्क निवासी: 32 B-सेक्टर टंकी के पास हज़रत निज़ामउद्दीन कॉलोनी भोपाल मेरे दस्तावेजों में पहले मेरा नाम ASIF KHAN दर्ज था, जो कि बदल कर मेरा नाम ASIF KHAN SIDDIQUI हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

बिक्री/ई–नीलामी नोटिस

आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन में

CIN: U45201MP1999PTC013634

पंजीकृत पताः TF-03, ब्लॉक नंबर–03, प्लॉट नंबर–7 महेंद्र बिजनेस स्क्वायर, बावड़िया कलां, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत, 462039
कंपनी परिसमापन के तहत माननीय NCLT आदेश दिनांक 22.05.2024 के तहत IA-12/2024 Liq और C.P. (IB)/353/PB/2022.

कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों की बिक्री को 'संपत्तियों के सेट के रूप में सामूहिक रूप से' बेचा जा रहा है, जैसा कि विनियमन 32 के उपखंड (c), विनियमन 33 की उप–विनियमन (1) और भारतीय दिवाला और दिवालापन बोर्ड (लिक्विडेशन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची । में निर्दिष्ट है, जिसके तहत **लिक्विडेटर श्री कुलदीप टांक को माननीय NCLT Principal Bench द्वारा दिनांक 04.12.2024 के इसके आदेश सं. IA-5688/2024, C.P. (IB)-353(PB)/2022** के तहत नियुक्त किया गया। यह बिक्री ई–नीलामी प्लेटफॉर्म https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से की गई।

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
		ब्लॉक–A से D: संयुक्त रूप से आस्तियों के किसी समूह का (विनियमन 32(c) के तहत)
1.	बिक्री नोटिस और ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज के प्रकाशन की तिथि	17/05/2026
2.	इच्छुक बोलीदाता द्वारा 29ए पात्रता दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन बोली आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	17/05/2026 सुबह 11:00 बजे से 05/06/2026 शाम 05:00 बजे तक
3.	नीलामी के अंतर्गत परिसंपत्तियों के निरीक्षण या यथोचित परिश्रम की तिथि और समय (पूर्व नियुक्ति के साथ)	17/05/2026 सुबह 11:00 बजे से 04/06/2026 शाम 05:00 बजे तक
4.	इच्छुक बोलीदाता द्वारा बयाना राशि जमा करने की तिथि और समय	18/05/2026 सुबह 11:00 बजे से 05/06/2026 शाम 05:00 बजे तक
5.	नीलामी की तिथि और समय	सोमवार, 08/06/2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)
6.	उच्चतम बोलीदाता की घोषणा	11/06/2026
7.	सफल बोलीदाता की घोषणा	संभावित रूप से 15/06/2026
8.	परिसमापक का पता और ईमेल	202, ब्लॉक–ए, द वन, आरएनटी मार्ग, इंदौर–452001 **ibduniversal21@gmail.com**

ब्लॉक–A से D:

आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियमन 2016 के विनियमन 32(c) के तहत सामूहिक रूप से परिसंपत्तियों का सेट (विनियमन 32(c) के तहत) जिसमें भूमि, भवन, प्रतिभूतियाँ और वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जहां है जैसा है, जो भी है आधार पर और बिना किसी सहारे के आधार पर आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, परिसमापन में ("कॉर्पोरेट देनदार") परिसंपत्तियों की बिक्री

ब्लॉक	आस्तियों का विवरण	नीलामी का तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु.	ईएमडी रु.	बोली वृद्धि राशि रु.
A	आईबीडी रॉयल सिटी, ग्राम – रायपुर, तहसील और जिला– होशंगाबाद (नर्मदापुरम)– 461001 पर प्लॉटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)	सोमवार 08/06/2026 सुबह 11:00 तक से दोप. 02:00 तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार)	**2,54,71,637**	25,47,164	5,00,000
B	आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में 25 (1862.79 वर्ग मीटर) आंशिक रूप से पूर्ण/लगभग पूर्ण फ्लैटों में कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		**2,53,69,329**	25,36,933	5,00,000
C	आईबीडी हॉलमार्क सिटी, कोलार रोड, भोपाल में ब्लॉक B के अलावा कॉर्पोरेट देनदार के सभी अधिकार सहित। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		**6,24,90,382**	62,49,038	10,00,000
D	कॉर्पोरेट देनदार की सभी सुरक्षा और वित्तीय संपत्तियाँ। (अधिक जानकारी बिक्री दस्तावेज में देखें)		**1,22,88,356**	12,28,836	5,00,000

आरक्षित मूल्य में कर, जीएसटी, टीडीएस, शुल्क, प्रभार, शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रीमियम आदि शामिल नहीं हैं वारंटी और क्षतिपूर्ति के बारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।

ई–नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. इच्छुक बोलीदाताओं को अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके https://ibbi.baanknet.com के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। सहायता के लिए संपर्क करेंः support.baanknet@psballiance.com / मोबाइल नंबर +91 8291220220
2. परिसमापक का संपर्क विवरणः श्री कुलदीप टॉक ईमेलः ibduniversal21@gmail.com संपर्क नंबर 9826677735
3. संपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई–नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और वचनबद्धता फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें युक्त संपूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://ibbi.baanknet.com/ पर उपलब्ध हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, अन्य, यदि कोई हो, स्थानीय प्रशासन के बकाए आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। और उपरोक्त परिसंपत्तियों की बिक्री पर यदि कोई हस्तांतरण शुल्क होगा तो उसे वहन करेंगे और अपने खर्च पर संपत्ति का निरीक्षण करेंगे और खुद को संतुष्ट करेंगे। ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों का विवरण संभावित बोलीदाताओं द्वारा साइट पर परिसमापक और उसकी टीम से संपर्क करके निरीक्षण किया जा सकता है।
5. ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C, और ब्लॉक D, की नीलामी सामूहिक रूप से एक ब्लॉक में सभी संपत्तियों के लिए होगी।
6. बिक्री नोटिस को ई–नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के साथ पढ़ा जाना चाहिए और साथ ही उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों से सहमत होना चाहिए जो https://ibbi.baanknet.com पर उपलब्ध है।
7. संभावित बोलीदाता केवल बैंकनेट नीलामी मंच के माध्यम से बयाना राशि जमा (EMD) जमा करेगा।
8. संभावित बोलीदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से दिवालियापन और दिवालियापन संहिता की धारा 29 ए के तहत पात्रता की घोषणा सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
9. **यदि उच्चतम बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है, जिसमें उपरोक्त क्रमांक 8 के तहत उल्लिखित बोलीदाता भी शामिल है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।**
10. यदि परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से उच्चतम बोलीदाता को अयोग्य पाते हुए अस्वीकार कर देता है, तो परिसमापक परामर्श समिति के परामर्श से विनियमों के खंड (12ए) से खंड (12ई) के अंतर्गत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद अगले उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर सकता है।
11. सफल बोलीदाता को लागू स्टाम्प शुल्क/लीज हस्तांतरण शुल्क, फीस आदि और सभी स्थानीय कर, शुल्क, दरें, मूल्यांकन शुल्क, फीस, रखरखाव शुल्क आदि का भुगतान करना होगा। नीलामी में रखी गई संपत्ति के संबंध में।
12. ई–नीलामी "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर तथा "बिना किसी सहायता के" https://ibbi.baanknet.com. पर अनुमोदित सेवा प्रदाता के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
13. बिक्री ई–नीलामी के दस्तावेज में कोई भी परिवर्तन सेवाप्रदाता की वेबसाईट पर किया जायेगा।

कुलदीप टॉक
मैसर्स आईबीडी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड
के मामले में परिसमापक
(परिसमापन प्रक्रिया के तहत)
Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P-02776/2022-2023/14255
AFA 30.06.2027 तक वैध
ई–मेल आईडी: ibduniversal21@gmail.com
पताः 202, ब्लॉक–ए, द वन, आरएनटी मार्ग, इंदौर–452001
दिनांकः 17.05.2026, स्थानः इंदौर

पश्चिम मध्य रेल

ई–निविदा आमंत्रण सूचना,
विद्युत लोको शेड, इटारसी विद्युत विभाग (टी.आर.एस) ई–निविदा आमंत्रण, सूचना क्र. इटी/टीआरएस/डब्ल्यूसी/02/26–27, दिनांक 13–05–2026

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टी.आर.एस), विद्युत, लोको शेड, पश्चिम मध्य रेल, न्यू यार्ड, इटारसी, भारत के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके सामनें दर्शाई गई दिनांक 08.06.2026 को 15.00 बजे तक ई–टेन्डर निम्नानुसार आमंत्रित करते हैं:– ई–निविदा कमांकः इटी/टीआरएस/डब्ल्यूसी/02/26–27, **कार्य का नाम लोकेशन सहितः** इमरसिव विज्यूलाईजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजिन.", **निविदा की अनुमानित लागत Rs:** 23,01,000/–, **निविदा प्रपत्र का मूल्य Rs:** निल, **बयाना राशि Rs :** 46,100/–, **कार्य पूर्ण करने की अवधिः** 06 (छः) माह, **ई–निविदा जमा करने की तिथि एवं समयः** 08/06/2026 समय 15.00 बजे तक नोटः– ई–निविदा प्रपत्र एवं ई–निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी बेवसाइट **www.ireps .gov.in** पर उपलब्ध है एवं कार्यालय वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, (टी.आर.एस.). इटारसी के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है ।

कृते वरि. मंडल विद्युत इंजीनियर, विद्युत लोको शेड, पश्चिम मध्य रेल, इटारसी

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल

ई–टेण्डरीग सूचना
01/2026–27 दिनांक 13.05.2026

उपमुख्य अभियंता, (ट्रेकमशीन), पश्चिम मध्य रेल, भोपाल भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए काम करते हुये ई– टेण्डरींग द्वारा निम्नलिखित सामग्री/ मदों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित करते है। टेण्डर प्रपत्र वेब साईड **www.ireps.gov.in** पर दिनांक 13.05.2026 को अपलोड कर दिये गये है। अतः पूर्ण जानकारी वेब साईट www.ireps. gov.in पर उपलब्ध है। इन निविदाओ में कोई संशोधन, यदि आवश्यक हुआ तो टेन्डर खुलने की तिथि से 10 दिन पहले वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा इनको वेबसाइट **www.ireps. gov.in** पर देखा जा सकता है। जिसकी सूचना उपमुख्य अभियंता (ट्रैक मशीन), भोपाल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जायेगा। जिसे टेन्डर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है। सभी निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि निविदा डालने से पहले वेबसाइट देख ले।, **कार्य का नाम–** आउटसोर्सिंग ऑफ ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेंस ऑफ बीसीएम, डीयूओ/सीएसएम, डीटीएस एण्ड एमएफआई मशीन्स फार 24 मंथ इन टू डिफरेन्ट ग्रुप., **टेण्डर नं.–** डब्ल्युसीआर बीपीएल टीएम 26 डब्लू 03 दिनांक 13.05.2026, **निविदा का अनुमानित मूल्य–** 16,76,66,098.74/–, **बयाना राशि–** 33,53,300/–, **समापन अवधि–** 24 महीने, **खुलने की तिथि–** 17.06.2026

(हस्ता.)
कार्यालय उप.मुख्य अभियंता (ट्रेक मशीन)
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/1255/ ई–टेण्डरिंग/2025–26 — सिंगरौली, दिनांक 15/05/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट http://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक	टेण्डर जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य समयावधि	कार्य लागत	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा प्रपत्र EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026 UAD 507032_1	12-05-2026	Supply of 02Nos. Vaccum based Diesel truck mounted Mechanized Road Sweeping MachineBSV14.0 CUM Capacity in Municipal Corporation Singrauli. 6 nd Call	1 Months	95,50,000	10,000	95,500	26-05-2026
2	2026 UAD 506986_1	12-05-2026	Rate Inviting for various Items Used in Fire Fighting	12 Months	8,45,000	2,000	16,900	26-05-2026
3	2026 UAD 506892_1	12-05-2026	Drilling of DTH Tube Well and Hand Pump Installation at Ward No 31	2 Months	7,43,584	2,000	14,872	26-05-2026
4	2026_UAD _506859_1	12-05-2026	decrorative Post lamp at Various Places between Mazan Mode to Indira Chauk	2 Months	79,73,052	10,000	79,731	13-06-2026
5	2026_UAD _506748_1	11-05-2026	Supply of 02 no Innova Equivalent Vehicle on Rental basic VInd Call	36 Months	43,29,630	5,000	43,296	26-05-2026
6	2026_UAD _506724_1	11-05-2026	Construction of Sewerage Pipeline at Dayashankar Shukla House to Pulish Line at Ward No 44	2 Months	9,27,824	2,000	18,556	26-05-2026
7	2026 UAD 505980_1	08-05-2026	Construction of Bitumen Road at various places in ward no.24	2 Months	37,88,800	5,000	50,000	08/06/2026
8	2026_UAD _505961_1	08-05-2026	Installation of post lamps in judwa Pond	3 Months	73,41,015	10,000	73,410	08/06/2026

नोटः– निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संसोधन का प्रकाशन ऑनलॉईन http://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा.

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम सिंगरौली

भारतीय प्रेस परिषद
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
टेलीफोन: 24366745-46-47-49/24366403-04-05-25 विस्तार: 312 फैक्स: 011-24368723
ई-मेल: so.editorial-pci@gov.in वेबसाइट: www.presscouncil.nic.in

सूचना

15वें कार्यकाल के लिए अधिसूचना हेतु दावे आमंत्रित
प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 (4) के साथ पठित धारा 5 (3) (ग) के अंतर्गत

दिनांक: 17 मई, 2026

दावे दाखिल करने की अंतिम तिथि: 19 जून, 2026

भारतीय प्रेस परिषद का 14वां कार्यकाल 5 अक्टूबर, 2024 को समाप्त हो गया था. परिषद ने अपने 15वें कार्यकाल के लिए पुनर्गठित होने हेतु 09.06.2024 के विज्ञापन नोटिस के माध्यम से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3) (क), (ख) और (ग) के तहत दावे दाखिल करने हेतु पात्र व्यक्तियों के संगमों से दावे आमंत्रित किए.

हालांकि, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 (3) (ग) अर्थात् समाचार एजेंसियों के तहत कोई दावा दायर किया हुआ नहीं पाए जाने पर उक्त विज्ञापन के बाद, परिषद के 15वें कार्यकाल की पुनर्गठन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस नोटिस को पुन: विज्ञापित किया जा रहा है.

इसलिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 5(4) के परंतुक के अधीन अधिसूचना हेतु व्यक्तियों के संगमों, जो समाचार एजेंसियों का प्रबंध करते हैं या समाचार एजेंसियों का कोई संगम मौजूद न होने पर व्यक्तिगत समाचार एजेंसियों से दावे आमंत्रित किए जाते हैं. उल्लेखनीय है कि प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण नियम, 2024, साथ ही व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता (ओएसएच), 2020, जो अन्य बातों के अलावा, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 का स्थान लेते हैं, का संदर्भ पीसीआई के सदस्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में परिभाषा (ओं) और अन्य प्रावधानों या उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए लिया जाएगा.

पात्रता:
दावेदार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

क) इसे, दावों के फाइल किए जाने की अंतिम तारीख से पूर्व कम से कम छह वर्ष के लिए तत्समय प्रवृत सुसंगत विधियों के अधीन पंजीकृत होना चाहिए;

ख) तत्पश्चात इसे निरंतर अपना कारोबार करते रहना चाहिए, और वह ऐसी सुसंगत विधियों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित उसके सबूत के तौर पर दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा;

ग) व्यक्तियों/समाचार एजेंसी के ऐसे संगम के संगम का ज्ञापन (एम.ओ.ए.)/विधान/एम.ओ.यू. इसकी सदस्यता को किसी विशिष्ट धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा तक निर्बंधित नहीं करेगा.

घ) दावे प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 (3) (ग) के साथ पठित धारा 5(4) और उसके परंतुक के अंतर्गत आने वाली श्रेणी से ही अनिवार्य रूप से संबंधित होने चाहिए.

दावे एसोसिएशन/एजेंसी के पत्र शीर्ष पर, जिसमें पत्राचार के लिए रजिस्टर्ड पता, ईमेल आई डी, दूरभाष/मोबाइल नंबर हो मुहर बंद लिफाफे में 'एसोसिएशन/एजेंसी के नाम से अधिसूचना हेतु दावा' अंकित करते हुए अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, 8, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेजे जाएंगे ताकि वे 19 जून, 2026 को सायं 5:00 बजे या उससे पहले पहुंच जाएं.

समर्थक दस्तावेज

इन दावों के साथ समर्थक दस्तावेज़ होने चाहिए, जो कि यह दर्शा सकें कि एसोसिएशन/समाचार एजेंसी की, अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उपलिखित प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्रता है तथा जिनसे यह भी स्थापित हो सके कि वह उस प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करने के योग्य है, जिसके अंतर्गत वह अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है.

नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा किए जाने हैं:

(क) एसोसिएशन/समाचार एजेंसी के एम.ओ.ए./विधान/एम.ओ.यू. की एक प्रति:

(ख) दावेदार निकाय के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति, जिसके साथ अद्यतन नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो, जमा करें:

(ग) विज्ञापन जारी किये जाने से पूर्व, समुचित प्राधिकारी, अर्थात् कंपनियों/सोसायटियों के रजिस्ट्रार या संगत कानूनों के तहत ऐसे प्राधिकारी, जिनके अधीन व्यक्तियों के संगमों जो स्वयं समाचार एजेंसी/समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करते है को पंजीकृत किया गया है, जो दावे दाखिल करने की अंतिम तिथि से कम से कम छह वर्ष पूर्व उनके अस्तित्व को दर्शाए के सम्मुख दर्ज किए गए पिछले छह वर्षों की वार्षिक साधारण बैठकों/कार्यकारी

(घ) समिति/निदेशक मंडल (समाचार एजेंसी के संबंध में) की बैठकों के कार्यवृत्त; संगत कानून के तहत निम्नलिखित फार्मेट में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र:

दिनांकित:

प्रमाण-पत्र

मैं ....(पूरा नाम) एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ....(एसोसिएशन/समाचार एजेंसी का नाम) को ....(अधिनियम का नाम) के तहत.............(दिनांक, माह और वर्ष) को पंजीकृत/निगमित किया गया है और उसके बाद से लगातार अपना कारोबार कर रहा है.

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)

(ङ) समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधियों जो एसोसिएशन के सदस्य (व्यक्तियों के संगम द्वारा दायर दावे की स्थिति में) या समाचार एजेंसी का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों (स्वयं समाचार एजेंसी द्वारा दायर दावे की स्थिति में) की एक विस्तृत अद्यतन सूची, जिसमें संपूर्ण ब्यौरा हो, जैसा कि नीचे दिया गया है. और वह हार्ड कॉपी के साथ-साथ पैन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी में हो:

(1) उपनाम, पहला नाम, मध्य नाम
(2) व्यक्तियों के संगम के सदस्यों, जो समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करते हों, (यदि दावा व्यक्तियों के संगम द्वारा दायर किया गया हो) या व्यक्तियों, जो समाचार एजेंसी का प्रबंधन करते हों, का आवासीय पता (यदि दावा स्वयं समाचार एजेंसी द्वारा दायर किया गया हो)
(3) समाचार एजेंसी/समाचार एजेंसियों जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, की पंजीकरण संख्या सहित शीर्षक
(4) क्या सदस्य किसी अन्य समकक्ष एसोसिएशन का सदस्य है (यदि लागू हो)
(5) एसोसिएशन/समाचार एजेंसी में शामिल होने का वर्ष और
(6) सदस्यता शुल्क अद्यतन अथवा बकाया (यदि लागू हो)

(च) संबंधित समाचार एजेंसियों के बारे में अद्यतित जानकारी:
(1) प्रत्येक समाचार एजेंसी के ग्राहकों की सूची
(2) राज्य के नाम सहित कार्यालय का पता जहां प्रत्येक ऐसी समाचार एजेंसी (व्यक्तियों के संगम द्वारा दायर दावे के मामले में) या समाचार एजेंसी (स्वयं समाचार एजेंसी द्वारा दायर दावे के मामले में) इस समय स्थित है.
(3) प्रत्येक समाचार एजेंसी के प्रमुख का नाम और पदनाम

वांछनीय सूचना –
(4) क्या ऐसी प्रत्येक समाचार एजेंसी का कोई पत्रकार पी.आई.बी. या किसी राज्य सूचना विभाग से मान्यता प्राप्त है? यदि हां, तो विवरण दें.
(5) मजीठिया वेतन बोर्ड, 2011 के अनुसार, समाचार एजेंसियों का श्रेणी I/II/III/IV आदि में वर्गीकरण.

व्यक्तियों का संगम, जो समाचार एजेंसी का प्रबंधन करते हैं/स्वयं समाचार एजेंसियाँ उस प्रवर्ग का विशेष रूप से उल्लेख करे, अर्थात् 5(3) (ग) जिसके अंतर्गत वह अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं.

एसोसिएशन/एजेंसी के अध्यक्ष/सचिव/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को यह प्रमाणित करते हुए नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ पूर्वक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि दावा दाखिल करने के लिए व्यक्तियों के संगम, जो समाचार एजेंसी का प्रबंधन करते हैं/ स्वयं समाचार एजेंसियों द्वारा उसे समुचित रूप से प्राधिकृत किया गया है और दावे के आवेदन में दिए गए तथ्य तथा उनके साथ संलग्न विवरण उसके सम्पूर्ण ज्ञान और विश्वास तथा सूचना के अनुसार सत्य हैं.

दावेदार एसोसिएशन/समाचार एजेंसी द्वारा यह प्रमाणित करते हुए उस घोषणा पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे कि कथित निकाय का दावा विधिमान्य है और सभी प्रकार से ऋणभार/विवाद/अभियोग रहित है. यदि किसी भी ऋणभार के बारे में प्रेस परिषद को सूचना प्राप्त होती है तो परिषद किसी भी दावे को अस्वीकार कर सकती है.

एसोसिएशन/समाचार एजेंसी के विधान के अंतर्गत समुचित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.

कोई भी ऐसा दावा जो उपर्युक्त के अनुरूप न हो, अस्वीकार किये जाने योग्य है.

भारतीय प्रेस परिषद को ऐसी कोई भी अतिरिक्त सूचना मंगवाने या ऐसी सूचना को सत्यापित करवाने का अधिकार होगा, जो आवश्यक समझी जाए.

प्रेस परिषद के पिछले कार्यकाल (2021-2024) के लिए अधिसूचित व्यक्तियों के संगम/समाचार एजेंसी भी इस सूचना पर ध्यान दें और पुन: दावे का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

दावेदार एसोसिएशनों/समाचार एजेंसियों की सूची परिषद की वेबसाइट पर दिनांक 22 जून, 2026 को या उससे पहले प्रकाशित की जाएगी. कोई भी व्यक्ति दिनांक 29 जून, 2026 तक दावेदार एसोसिएशनों/समाचार एजेंसियों की पात्रता पर सवाल उठाते हुए आपत्ति दर्ज करा सकता है. तत्पश्चात दावों का निर्णय संवीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा.

19 जून, 2026 को सांय 5.00 बजे के बाद किए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.

(शुभा गुप्ता)
सचिव
(फ़ाइल सं. 19/10/2025-पीसीआई-संपा.)
भारतीय प्रेस परिषद
सूचना भवन
8, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-03

सीबीसी-22106/12/0001/2627